कार्यालय **जिला कारागार, पौडी** के माह **मई 2014** से **अप्रैल 2018** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री **अजय कुमार श्रीवास्तव**, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक **21-05-18** से **25-05-18** तक श्री **प्रेम चन्द्र**, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री **राम सनेही** एवं श्री **एस. के. सिंह** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक **05-06-14** से **10-06-14** तक श्री **पी. सी. श्रीवास्तव**, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह **05/2012** से **04/2014** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गई थी।
वर्तमान लेखापरीक्षा में माह **05/2014** से **04/2018** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः गढवाल परिक्षेत्र, पौडी

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रू लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2015-16	-	-	119.24	108.41	37.82	29.31	-	19.34
2016-17	-	-	167.37	129.88	35.94	28.70	-	44.73
2017-18	-	-	201.05	152.07	51.44	26.41	-	74.0-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
शून्य					

इकाई को बजट आवंटन (केन्द्र एवं राज्य सरकार) द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई कार्यालय **जिला कारागार, पौडी** को श्रेणी **(सी**) की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में उत्तराखण्ड गढवाल परिक्षेत्र एवं अनुपालन लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं प्रतिवेदन कार्यालय **जिला कारागार, पौडी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। विस्तृत जांच हेतु माह **मार्च 2015** एवं **मार्च 2017** को चयनित किया गया। उपरोक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन व्यय की अधिकता के आधार पर किया गया।

लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद **149** के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, **1971** (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13** एवं **16** लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, **2007** तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई है।

भाग-II 'अ'

प्रस्तर :---------- शून्य ----------

<u>भाग दो ब</u>

<u>प्रस्तर:01-</u> कोषागार से मजदूरी मद की धनराशि आहरित कर बैक में अवरूद्ध रखा जाना रू 14.80 लाख।

वित्तीय नियमानुसार कोषागार से धनराशि तभी आहरित की जानी चाहिए जब धनराशि की तुरन्त आवश्यकता हो, मात्र बजट को समर्पण से बचाने के उददेश्य से धनराशि आहरित नही की जानी चाहिए।

कार्यालय के नाम से खोले गये भारतीय स्टेट बैक, पौडी गढवाल में खाता संख्या 35798823448 की जांच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में कोषागार से मजदूरी मद जनवरी 2018 में रू 427054, मार्च 2018 में 714525 एवं अप्रैल 2018 में 393300 अर्थात कुल रू 1534879 आहरित कर उपरोक्त बैक खाते में जमा कर दिया गया। जिसके सापेक्ष मात्र रू 54169/- व्यय करने के उपरान्त रू 1480710 अभी तक बैक खाते में अवशेष अवरूद्ध थी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है कि बन्दियों के बैक खाते न होने के कारण मजदूरी का भुगतान ई पेमेन्ट के माध्यम से किया जाना सम्भव नही हो पाया जिस कारण बन्दियों की मजदूरी की धनराशि कोषागार से आहरित किये जाने के उपरान्त अधीक्षक, जिला कारागार, पौडी के खाते में जमा की गई थी। उत्तर मान्य नही है क्योंकि जिस दिन बन्दी जेल से रिहा हो उसी दिन उसको बैंक ड्राफ्ट/चैक के माध्यम से भुगतान कर दिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा न कर इकाई द्वारा कोषागार से मजदूरी मद से धनराशि आहरित कर बैक खाते में अवरूद्ध रखी गई थी, जो कि वित्तीय नियमों के विरूद्ध है।

अत: कोषागार से मजदूरी मद की धनराशि आहरित कर बैक खाते में रू 14.80 लाख अवरूद्ध रखे जाने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग दो ब</u>

<u>प्रस्तर:02-</u> रू 33.06 लाख का अनियमित व्यय एवं रू 66118/- आयकर की कटौती न किया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्रस्तर 12(।) के अनुसार रू 1.00 लाख से अधिक, संशोधित नियमावली 2015 के प्रस्तर 12(।) के अनुसार रू 3.00 लाख से अधिक एवं संशोधित नियमावली 2015 के प्रस्तर 12(।) के अनुसार रू 2.50 लाख से अधिक तक की सामग्री क्रय हेतु निविदा प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, ताकि प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ प्राप्त किया जा सके।

कार्यालय के भोजन मद एवं सामग्री और सम्पूर्ति मद क्रय पत्रावली की जांच में पाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक कुल रू 3305904 की विभिन्न सामग्रियों का क्रय बिना निविदा प्रक्रिया अपनायें ही किया गया है। जिसका विवरण इस प्रकार है।

वित्तीय वर्ष	**भोजन पर व्यय**	**सामग्री और सम्पूर्ति पर व्यय**	**कुल व्यय की गई धनराशि**
2014-15	1199893	-	1199893
2015-16	996011	160000	1156011
2016-17	800000	150000	950000
योग:	2995904	310000	3305904

इसके जांच में यह पाया गया कि आयकर अधिनियम 1961 धारा 194 (सी) के अन्तर्गत ठेकेदारों एवं उपठेकेदारों को रू 3305904 के भुगतान पर 2 प्रतिशत की दर से आयकर की कटौती नहीं की गई थी। इस प्रकार इकाई द्वारा रू 66118 आयकर की कटौती नहीं की गई थी। जिसे वसूल कर जमा किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है कि निविदा आमंत्रित की गई थी किन्तु किसी निविदा दाता द्वारा प्रतिभाग न किये जाने के कारण पूर्व शासनादेश के अनुसार खाद्यान एस. एम. आई. दरों पर क्रय की गई। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि खाद्यान में केवल गेहू, चावल एवं चीनी सम्मलित थी, जिसके क्रय किये जाने का आदेश था न की समस्त भोजन सामग्री क्रय किया जाना था। इस प्रकार इकाई द्वारा बिना निविदा प्रक्रिया अपनाये ही विभिन्न खाद्य सामग्री का क्रय किया गया। जो कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का स्पष्ट उल्लंघन किया गया था।

अत: रू 33.06 लाख का अनियमित व्यय रू 66118 आयकर की कटौती न किये जाने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग दो ब</u>

<u>प्रस्तर:3 (अ)-</u> रू 23.42 लाख की धनराशि का शत प्रतिशत शासन को समर्पण किया जाना।

वित्तीय नियमानुसार बजट की मांग उतनी करनी चाहिए जितने की आवश्यकता हो, आवश्यकता से अधिक धनराशि की मांग नही किया जाना चाहिए।

कार्यालय के बजट पत्रावली की जांच में पाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न मदों में कुल रू 23.42 लाख की मांग की गई है। परन्तु इस धनराशि का उपभोग नही किया गया एवं शत प्रतिशत धनराशि का समर्पण किया गया है।

(रू. लाख में)

मद का नाम	आवंटित धनराशि	व्यय की गई धनराशि	समर्पण की गई धनराशि	समर्पण का प्रतिशत
08 कार्यालय व्यय	20000	0	20000	100%
11 लेखन सामग्री	25000	0	25000	100%
12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	15000	0	15000	100%
13 टेलीफोन	17000	0	17000	100%
15 गाड़ियों का अनुरक्षण/ पेट्रोल	60000	0	60000	100%
27 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	67000	0	67000	100%
29 अनुरक्षण	40000	0	40000	100%
31 सामग्री सम्पूर्ति	300000	0	300000	
41 भोजन	1700000	0	1700000	100%
42 अन्य	18000	0	18000	100%
46 कम्प्यूटर	55000	0	55000	100%
47 कम्प्यूटर अनुरक्षण	25000	0	25000	100%
	2342000		2342000	

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है कि भविष्य में बजट का शत प्रतिशत व्यय किया जायेगा। उत्तर मान्य नही है क्योंकि इकाई की उदासीनता के कारण रू 23.42 लाख की धनराशि का शत प्रतिशत शासन को समर्पण कर दिया गया। जबकि उसी वित्तीय वर्ष में देनदारियां लम्बित थी।

अत: रू 23.42 लाख की धनराशि का शत प्रतिशत शासन को समर्पण किये जाने का प्रकरण विभाग के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग दो ब</u>

<u>प्रस्तर:3 (ब)-</u> रू 13.80 लाख की देनदारियों का भुगतान लम्बित रहना।

कार्यालय के बिलों की जांच में पाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 से वर्ष 2017-18 तक कुल रू 13.80 लाख की विभिन्न सामग्रियों का क्रय मैमर्स नरेश एजेन्सी, पौडी से की गई है। परन्तु उक्त बिलों का भुगतान मई 2018 तक नहीं किया गया है। जबकि वित्तीय वर्ष 2017-18 में रू 17.00 लाख का बजट भोजन मद में शासन द्वारा आंवटित किया गया था। आगे जांच में यह भी पाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटित धनराशि रू 17.00 लाख व्यय न करके शत प्रतिशत शासन को संमर्पित कर दिया गया है। जिसके कारण उक्त वर्षोमें रू 13.80 लाख की दायित्यों का भुगतान लम्बित है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है कि भविष्य में भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। उत्तर मान्य नही है क्योंकि विभाग की उदासीनता के कारण वित्तीय वर्ष 2017-18 में रू 17 लाख भोजन मद में आंवटित होने के बावजूद शत प्रतिशत समर्पित कर दियो जाने से रू 13.80 लाख की अनावश्यक देनदारियां अवशेष रही। जो वित्तीय नियमों के विरूद्ध है।

अत: रू 13.80 लाख की देनदारियों का भुगतान लम्बित रहने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग दो ब</u>

<u>प्रस्तरः4-</u> रू 4.98 करोड़ के लेन-देनों के लेखों की रोकड़बही तथा खाद्यान प्राप्ति एवं वितरण रजिस्टर न बनाया जाना।

वित्तीय नियमानुसार रोकड़बही विभाग का मुख्य अभिलेख होता है जिसमें विभाग के लेन देनों (2 नगद/चेक/ड्राफ्ट/ई पेमेंट) का लेखा रोकड़बही में इन्द्राज करना चाहिए।

कार्यालय अधीक्षक जिला कारागार, पौड़ी गढ़वाल के लेखा अभिलेखों की जांच में देखा गया कि विभाग द्वारा लेखा परीक्षा अवधि 05/2014 से 04/2018 तक की अवधि में से 05/14 से 03/15 तक की ही रोकड़बही बनाई गयी है तथा शेष अवधि 04/15 से 04/18 तक की रोकड़बही नहीं बनाई गयी है। आगे जांच में यह भी देखा गया कि चयनित माह 03/15 एवं पूर्व के माहों में किए गए लेन देनों को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित भि नहीं किया गया है। इस प्रकार अवधि 04/15 से 04/18 तक के दौरान कोषागार से किए गए स्थापना एवं गैर स्थापना मद में आहरित एवं व्यय की कुल धनराशि रू 4.98 करोड़ (स्थापना रू 4.14 करोड़+गैर-स्थापना रू 0.84 करोड़) के लेन देनों को रोकड़बही में इन्द्राज न किए जाने के कारण उक्त अवधि (04/15 से 04/18) की जांच नही की गयी जो वित्तीय नियमों के विरुद्ध है।

इसी प्रकार जांच में यह भी देखा गया की लेखा परीक्षा अवधि 05/2014 से 04/2018 तक खाद्यान प्राप्ति एवं वितरण रजिस्टर भी नहीं बनाया गया जिससे उक्त रजिस्टर की भी जांच नही की गयी।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

अतः रू 4.98 करोड़ के लेन-देनों के लेखे की रोकड़बही तथा खाद्यान प्राप्ति एवं वितरण रजिस्टर न बनायें जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(अ) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या	भाग दो -''अ''प्रस्तर संख्या	भाग दो -''ब'' प्रस्तर संख्या
14/2012-13	शून्य	01

(ब) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेषण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
14/2012-13	शून्य	अप्रस्तुत	अप्रस्तुत	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--------- --- ---------- शून्य ----------

भाग-V

आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय जिला कारागार, पोडी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता हूँ। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः --- ---------- शून्य --

सतत् अनियमितताएः -- - ---------- ----- शून्य --

लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया है।

क्रंम संख्या	**नाम**	**पद नाम**	**कार्यकाल अवधि**
1	श्री भवन सिंह चलाल	अपर जिलाधिकारी, पौडी	जून2014 से दिनांक 17.12.17
2	श्री पी एल शाह	उप जिलाधिकारी सदर पौडी	दिनांक 18.12.14 से 06.05.15
3	श्री संजीव कुमार शुल्क	अधीक्षक	दिनांक 09.07.15 से 10.08.16
4	श्री रामजी शरण शर्मा	अपर जिलाधिकारी / प्रभारी अधीक्षक	दिनांक 11.08.16 से वर्तमान

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **जिला कारागार, पौडी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ (सामान्य क्षेत्र) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) ''महालेखाकार भवन'' दिवतीय तल एल-218 कौलागढ, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

लेखापरीक्षा अधिकारी

सामान्य क्षेत्र